फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री मोहम्मद चिराग निवासी रामपुरा तहसील सिरोही जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 55 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
11.11.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि यदि कोई व्यक्ति केंद्रीय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण पत्र या किसी अन्य समान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है, तो सामान्य परिस्थितियों में उसे जारी होने में लगने वाला औसत समय (दिनों में) क्या है? यदि आवेदक द्वारा पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद भी, किसी विवाद के आधार पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो ऐसे मामलों की समीक्षा या पुनर्विचार की क्या प्रक्रिया है तथा ऐसे विवादित अस्वीकृति मामलों में, लापरवाही या कदाचार पाए जाने पर संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध क्या कदम उठाए जाते हैं। उससे संबंधित नियम, प्रावधान प्रदान करावें तथा इसके सम्बन्ध में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि यदि कोई व्यक्ति केंद्रीय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण पत्र या किसी अन्य समान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है, तो सामान्य परिस्थितियों में उसे जारी होने में लगने वाला औसत समय (दिनों में) क्या है? यदि आवेदक द्वारा पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद भी, किसी विवाद के आधार पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो ऐसे मामलों की समीक्षा या पुनर्विचार की क्या प्रक्रिया है तथा ऐसे विवादित अस्वीकृति मामलों में, लापरवाही या कदाचार पाए जाने पर संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध क्या कदम उठाए जाते हैं। उससे संबंधित नियम, प्रावधान प्रदान करावें तथा इसके सम्बन्ध में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	